न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)

बईजलास डॉ. भँवर लाल, आई.ए.एस.

मुकदमा सं. 08/2023

प्रार्थी

सरकार जरिए उर्वरक निरीक्षक एवं सहायक निदेशक, कृषि(विस्तार),सिरोही

बनाम

अप्रार्थी

श्री जीवाराम पुत्र श्री जेठाराम जाति चौधरी निवासी मारोल तहसील रेवदर जिला सिरोही मैसर्स महाशक्ति कृषि केन्द्र, रेवदर जिला सिरोही।

प्रकरण अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति :–

1. श्री सहायक लोक अभियोजन अधिकारी सिरोही।
2. अप्रार्थी स्वयं उपस्थित।

निर्णय

दिनांक 13.12.2023

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 06.07.2022 को उर्वरक निरीक्षक उपनिदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद सिरोही द्वारा अप्रार्थी की दुकान जो मैसर्स महाशक्ति कृषि केन्द्र, रेवदर जिला सिरोही के नाम से है, का निरीक्षण करने पर डी.ए.पी. उर्वरक के 103 कट्टे अमानक पाए जाने पर प्रार्थी के द्वारा कब्जे सरकार लिये जाकर सीज किए गए एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 ए के तहत समयपहरण (confiscate) करने हेतु यह प्रकरण पेश किया गया है।

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया जिस पर अप्रार्थी द्वारा स्वयं उपस्थिति दी गई एवं दिनांक 06.11.2023 को जब्त किए उर्वरक को रिलीज किए जाने बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। दोनो पक्षों की बहस सुनी गई।

सरकार की ओर से श्री सहायक लोक अभियोजन अधिकारी एवं अप्रार्थी स्वयं की बहस सुनी गई तो प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि दिनांक 06.07.2022 को प्रार्थी द्वारा उर्वरक विक्रेता महाशक्ति कृषि केन्द्र रेवदर का निरीक्षण कर मौका पर्चा भरकर सेम्पल के तीन नमूने लिए गए, जिन्हें विश्लेषण हेतु उर्वरक परीक्षण प्रयोगशाला में भेजा गया, जिसमें उक्त उर्वरक अमानक पाए जाने पर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया एवं उर्वरक के विक्रय एवं स्थानान्तरण पर रोक लगा दी गई एवं दिनांक 29.07.2022 को अप्रार्थी के स्टॉक रजिस्टर में 103 कट्टे पाए जाने से मौका पर्चा उर्वरक की जब्ती की गई। अप्रार्थी द्वारा दिनांक 02.08.2022 को अमानक उर्वरक के पुनः विश्लेषण हेतु निवेदन करने पर पर संयुक्त निदेशक कृषि (वि0) खण्ड जालोर को अमानक उर्वरक के पुनः विश्लेषण हेतु भेजा गया, जिसमें उक्त उर्वरक नमूना मानक पाया गया। अतः उक्त उर्वरक के रैफरी नमूने में मानक पाए जाने के आधार पर इसे जब्ती से मुक्त किया जाना है। अतः उर्वरक को जब्ती से मुक्त किए जाने की स्वीकृति/अभिशंषा प्रदान कराने का श्रम करावें।

जिला कलक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

अप्रार्थी द्वारा दौराने बहस मेरा ध्यान आकृषित करते हुए निवेदन किया कि कब्जे सरकार लिए गए उर्वरक को कृषि विभाग द्वारा गलत रूप से कब्जे सरकार लिया गया है, जिसमें सैम्पल भी मानक आया है एवं उक्त उर्वरक को कब्जे सरकार लिए जाने से उर्वरक भी पडा हुआ खराब हो रहा है एवं उक्त उर्वरक के खराब होने से मुझे भारी नुकसान कारित होगा। अतः श्रीमान से निवेदन है कि कब्जे सरकार लिए गए उर्वरक को रिलीज करवाने के आदेश प्रदान करावें।

दोनों पक्षो की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो मै इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 06.07.2022 को उर्वरक विक्रेता महाशक्ति कृषि केन्द्र रेवदर का निरीक्षण कर मौका पर्चा भरकर सैम्पल के तीन नमूने लिए गए, जिन्हें विश्लेषण हेतु उर्वरक परीक्षण प्रयोगशाला जोधपुर में भेजा गया, जिसमें उक्त उर्वरक अमानक पाए जाने पर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया एवं प्रार्थी द्वारा उक्त उर्वरक के विक्रय एवं स्थानान्तरण पर रोक लगा दी गई एवं दिनांक 29.07.2022 को अप्रार्थी के स्टॉक रजिस्टर में डी.ए.पी. उर्वरकों के 103 कट्टे पाए जाने से मौका पर्चा उर्वरक की जब्ती की गई। अप्रार्थी द्वारा दिनांक 02.08.2022 को अमानक उर्वरक के पुनः विश्लेषण हेतु निवेदन करने पर पर प्रार्थी द्वारा संयुक्त निदेशक कृषि (वि0) खण्ड जालोर को अमानक उर्वरक के पुनः विश्लेषण हेतु भेजा गया, जिसमें उक्त उर्वरक नमूना मानक पाया गया। चूंकि कब्जे सरकार लिए गए उक्त डी.ए.पी. उर्वरक के रैफरी नमूने के विश्लेषण में मानक पाए जाने से प्रार्थी द्वारा भी उक्त उर्वरक को अप्रार्थी को लौटाए जाने का कथन किया है एवं उक्त उर्वरक को अप्रार्थी को लौटाए जाने पर प्रार्थी द्वारा किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है।

अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर कब्जे सरकार लिए गए डी.ए.पी. उर्वरक के 103 कट्टो को जब्ती से मुक्त (Release) किए जाने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 13.12.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ. भँवर लाल)
जिला कलक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner